



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

28 माघ 1947 (श10)
(सं0 पटना 208) पटना, मंगलवार, 17 फरवरी 2026

सं० सं०-उ०नि०-05-01/2024-86
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

संकल्प
16 जनवरी 2026

विषय:—उर्दू पाण्डुलिपि प्रकाशन अनुदान योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष—2025—26 एवं 2026—27 के लिए उर्दू पाण्डुलिपि प्रकाशन अनुदान चयन समिति का गठन।

उर्दू पाण्डुलिपि प्रकाशन अनुदान योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष—2025—26 एवं 2026—27 में प्राप्त होने वाली पाण्डुलिपियों में से अनुदान योग्य पाण्डुलिपियों के चयन तथा राशि के निर्धारण के लिए “उर्दू पाण्डुलिपि प्रकाशन अनुदान चयन समिति” का गठन निम्न रूप से किया जाता है :—

- | | | | |
|-------|---|---|-------------------|
| (i) | अपर मुख्य सचिव,
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना | — | अध्यक्ष (पदेन) |
| (ii) | प्रो० (डॉ०) मो० तौकीर आलम,
पूर्व प्रो—वाइस चांसलर, मौलाना मज़हूरुल हक अरबी
एवं फारसी, विश्वविद्यालय, पटना एवं पूर्व विभागाध्यक्ष
(उर्दू), बी०आर०ए० बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर | — | सदस्य |
| (iii) | डॉ० मो० शहाब ज़फ़र आजमी,
एसोसिएट प्रोफेसर एवं पूर्व विभागाध्यक्ष, उर्दू विभाग,
पटना विश्वविद्यालय, पटना | — | सदस्य |
| (iv) | निदेशक, उर्दू निदेशालय,
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना | — | सदस्य सचिव (पदेन) |

- उक्त समिति की बैठक के लिए कोरम अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव सहित कुल—3 सदस्यों का होगा।
- यह समिति वित्तीय वर्ष—2025—26 एवं 2026—27 के अन्तर्गत उर्दू पाण्डुलिपि प्रकाशन अनुदान की स्वीकृति हेतु चयन की अनुशंसा करेगी।
- समिति, पाण्डुलिपियों के चयन और अनुदान की राशि पर अंतिम निर्णय लेगी।

5. "उर्दू पाण्डुलिपि प्रकाशन अनुदान चयन समिति" के गठन के प्रस्ताव में माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:—आदेश दिया जाता है कि जन साधारण की जानकारी हेतु इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए तथा इसकी पचास प्रतियाँ उर्दू निदेशालय को उपलब्ध करायी जाएँ।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
एस० एम० परवेज़ आलम,
निदेशक।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 208-571+50-डी0टी0पी0
Website : <https://egazette.bihar.gov.in>